न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 284 / 2022 दायर दिनांकः- 09.12.2022

सीसीएमएस नं. 2022 / 732

1. रामदेई पत्नि शिवचरण उम्र 60 साल
2. टीकमचंद पुत्र चेतराम उम्र 62 साल

जाति जाटव निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली

———सायलान—02

बनाम

1. भरतलाल
2. अमृतलाल
3. सुगरलाल
4. रामअवतार
5. मनीष उर्फ गोलू
6. विमला
7. लक्ष्मी

पिसरान रामस्वरूप

8. द्रोपती पत्नि रामस्वरूप

जाति जाटव निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली

———गैरसायलान—08

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित—1. श्री पुष्पेन्द्र जैन अधिवक्ता सायलान

2.श्री रघुवीर सिंह अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 18-12-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजीयात खसरा न0 825 रकबा 58 ऐयर, 826 रकबा 56 ऐयर, 839 रकबा 26 ऐयर, 840 रकबा 50 ऐयर, 842 रकबा 22 ऐयर, 843 रकबा 21 ऐयर, 844 रकबा 62 ऐयर, 845 रकबा 36 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.31 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में स्थित है जिसमें सायलान क्रमशः 1/12—1/12 के एवं गैरसायल न0 1 ता 8, बहिस्सा 1/12 के खातेदार है शेष गैरसायल संख्या 9 ता 34 शेष हिस्सा 3/4 के खातेदार व काश्तकार है। सायलान एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। आराजीयात वर्णित मद न0 2 प्रार्थना पत्र हिण्डौन से बाजना जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है इसलिये उक्त आराजीयात वर्तमान में वेशकीमती हो चुकी है, जिसके चलते गैरसायलान संख्या 1 ता 8 सायलान की रोड साइड के 1/6 हिस्से पर जबरन कब्जा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:28:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्माण कार्य करने पर आमदा है एवं सायलान की बेशकीमती भूमि को हडपने पर आमदा है, इसलिये प्रार्थना पत्र करना आवश्यक हुआ है।

बांका दिनांक 22.11.2022 को सायलान अपने हिस्से की सार–संभाल कर रहे थे कि गैरसायल संख्या 1 ता 8 एकराय होकर आये एवं कहने लगे कि हम रोड साईड में दुकानात का निर्माण करता चाहते है इसलिये तुम अपना हिस्सा पीछे ले लो जिस पर सायलान ने गैरसायल संख्या 1 ता 8 को समझाने का प्रयास किया कि रोड साईड की कीमतें एवं पीछे की कीमतों में बहुत अंतर है और हमें साईड में भूमि की आवश्यकता है इसलिये हम अपना हिस्सा आपको नहीं देना चाहते, जिस पर गैरसायल संख्या 1 ता 8 नाराज हो गये एवं स्पष्ट धमकी देने लगे कि हम जबरन अब रोड साईड में दुकानों का निर्माण कार्य करेंगें और तुम्हारे हिस्से पर जबरन कब्जा करेंगे। सायलान ने शेष गैरसायलान से भी आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने बाबत आग्रह किया लेकिन वे भी किसी की एक मानने को तैयार नही है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजीयात खसरा न0 825 रकबा 58 ऐयर, 826 रकबा 56 ऐयर, 839 रकबा 26 ऐयर, 840 रकबा 50 ऐयर, 842 रकबा 22 ऐयर, 843 रकबा 21 ऐयर, 844 रकबा 62 ऐयर, 845 रकबा 36 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.31 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे सायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। आदेशिका दिनांक 01.04.2024 से गैरसायलान की ओर से श्री रघुवीर सिंह द्वारा बकालतनामा पेश किया । गैरसायलान अधिवक्ता को जबाब पेश करने के कई अवसर दिये गये। जबाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आदेशिका दिनांक 19.07.2024 से गैरसायलान का जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 484, वाके ग्राम धधावली त[illegible]ठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष [illegible] की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र [illegible] वर्णित [illegible] दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही [illegible]सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय ख़र्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:28:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी संवत 2071—74 खाता संख्या 484, वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायलान एवं गैरसायलान उक्त भूमि के काश्तकार एवं खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में सायलान को दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 09.12.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 825, 826, 839, 840, 842, 843, 844, 845 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 10-12-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:28:48 IST
Reason: SelfAttested